न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी :– हरभान मीणा, आर.ए.एस

अपील संख्या – 86/2016/223 आर टी ए

1. ओमप्रकाश पुत्र किशनाराम जाति जाट निवासी डूंगराना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
2. सुरेशकुमार पुत्र मनीराम जाति जाट निवासी डूंगराना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
3. छोटूराम पुत्र मनीराम जाति जाट निवासी डूंगराना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
4. रमेश पुत्र मनीराम जाति जाट निवासी डूंगराना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
5. जवाहरलाल पुत्र चन्दगीराम जाति जाट निवासी डूंगराना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
6. इन्द्राजसिंह पुत्र चन्दगीराम जाति जाट निवासी डूंगराना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
7. सरजीतसिंह पुत्र चन्दगीराम जाति जाट निवासी डूंगराना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
8. मनोहरलाल पुत्र चन्दगीराम जाति जाट निवासी डूंगराना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
9. राममूर्ति पुत्र नेकीराम जाति जाट निवासी श्योदानपुरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

––अपीलांटस

बनाम

1. भागचन्द पुत्र भूपसिंह जाति जाट निवासी वार्ड नं. 20 भादरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

–––असल रेस्पो0

2. हरीसिंह पुत्र जगमाल (फौत)

2ए बनवारी पुत्र हरीसिंह जाति जाट निवासी डूंगराना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।

2बी राजेन्द्र पुत्र हरीसिंह जाति जाट निवासी डूंगराना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।

2सी केशर पुत्री हरीसिंह पत्नि गोपाल बेरड़ जाति जाट निवासी भट्टू तहसील व जिला फतेहाबाद हरियाणा।

2डी कमला पुत्री हरीसिंह पत्नि रिछपाल बेरड़ जाति जाट निवासी भट्टू तहसील व जिला फतेहाबाद हरियाणा।

2ई गुडडी पुत्री हरीसिंह पत्नि गुलाब बैनीवाल जाति जाट निवासी हंजीरा तहसील व जिला सिरसा हरियाणा।

2एफ लिलो पुत्री हरीसिंह पत्नि रोहताश बैनीवाल जाति जाट निवासी हंजीरा तहसील व जिला सिरसा हरियाणा।

2जी सन्तरो पुत्री हरीसिंह पत्नि धर्मपाल बेरवाल जाति जाट निवासी शेरडा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

3. रूकमा पुत्री किसनाराम पत्नि रणवीर ढाका जाति जाट निवासी भट्टूकला तहसील व जिला फतेहाबाद हरियाणा।
4. सन्तोष देवी पत्नि लीलाधर जाति जाट निवासी डूगंराना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
5. तारावती पुत्री लीलाधर पत्नि सुभाष साई जाति जाट निवासी भट्टू तहसील व जिला फतेहाबाद हरियाणा।
6. कान्ता कुमार पुत्री लीलाधर पत्नि राजेश सहारण जाति जाट निवासी बीराण तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
7. रेणु कुमारी पुत्री लीलाधर पत्नि प्रदीप भाकर जाति जाट निवासी परलीका तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
8. बाला कुमारी पुत्री लीलाधर पत्नि मनोज भाकर जाति जाट निवासी परलीका तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
9. जमना पुत्री लीलाधर जाति जाट निवासी डूंगराना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
10. रजनी पुत्री लीलाधर जाति जाट निवासी डूंगराना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
11. शंकरो पत्नि मनीराम जाति जाट निवासी डूंगराना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
12. मन्जू पुत्री मनीराम पत्नि नरदेव नैण जाति जाट निवासी कुलेरी तहसील व जिला हिसार हरियाणा।
13. शांति देवी पुत्री चन्दगीराम पत्नि रामसिंह ढाका जाति जाट निवासी भट्टूकला तहसील व जिला फतेहाबाद हरियाणा।
14. बनवारीलाल पुत्र सहीराम जाति जाट निवासी कणाउ तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
15. बैंक ऑफ बडौदा शाखा भादरा जरिये शाखा प्रबन्धक तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
16. एसबीआई शाखा भादरा जरिये शाखा प्रबन्धक तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

17. ओरियन्टल बैंक ऑफ कामर्स शाखा भादरा जरिये शाखा प्रबन्धक तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
18. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

—— रेस्पोडैन्टस

अपील विरूद्व निर्णय व डिक्री दिनांक 27.05.2015 न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भादरा प्रकरण सं. 109/14 अनवानी भागचन्द बनाम हरिसिंह आदि

उपस्थित :–

श्री हवासिंह पूनियां अधिवक्ता अपीलांट

श्री विजय कौशिक अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 1

श्री कुलदीप बैनीवाल राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 18

निर्णय दिनांकः–08.12.2017

1. प्रकरण के सारगर्भित तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है कि रेस्पो0 सं. 1/वादी ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 53 आरटीए पेश किया, जिसमे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद प्राथमिक डिक्री किया गया और विभाजन प्रस्ताव के आधार पर वाद को अन्तिम डिक्री किया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।
2. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।
3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि सम्मत नही है। विभाजन प्रस्ताव पर प्रतिवादीगण एवं उसके वकील को कोई सूचना व नोटिस प्राप्त नही हुआ। निर्णय मे दर्ज किया गया कि पक्षकारान को सुना गया गलत दर्ज किया है। कानूनन विभाजन प्रस्ताव पर पक्षकारान को सुनवाई का अवसर दिया जाना आवश्यक है। उसके बावजूद भी एकपक्षीय निर्णय पारित किया गया है। विचारण न्यायालय ने दिनांक 10.04.2015 को दावा प्राथमिक डिक्री कर दिया एवं तहसीलदार राजस्व भादरा को कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया गया कि वादी एवं प्रतिवादीगण का अच्छी मंदी के हिसाब से खाता विभाजन का प्रस्ताव तैयार

कर अपनी रिपोर्ट मय रंगदार नक्शा एवं वादी एवं प्रतिवादीगण का प्रत्येक खातेदार के विभाजित हिस्सा तक आवागमन के लिये रास्ता आदि का अंकन किया जाकर अपनी रिपोर्ट पेश करे। जिस पर तहसीलदार भादरा ने न तो विवादित भूमि का मौका देखा और न ही स्वयं ने विभाजन प्रस्ताव तैयार किया है। सिर्फ वादी के कहे अनुसार हल्का पटवारी ने साजीसाना तरीके से सड़क के चिपती हुई कीमती भूमि का प्रस्ताव तैयार कर अदालत मे भिजवाया गया जिस पर विचारण न्यायालय ने दिनांक 27.05.2015 को बिना अपीलांट को सुनवाई का अवसद दिये निर्णय पारित किया है। जो विधि विरूद्ध है। विभाजन प्रस्ताव के आधार पर अपीलांट को बिना सुने अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अपास्त किया जावें।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने अपनी बहस में अपील मे वर्णित तथ्यो का खण्डन करते हुए कथन किया कि विचारण न्यायालय वाद मे साक्ष्य एवं सबूतो के आधार पर प्राथमिक डिक्री जारी करते हुए मुताबिक विभाजन प्रस्ताव वाद अन्तिम डिक्री किया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं विभाजन प्रस्ताव के आधार पर विधि सम्मत तरीके से निर्णय पारित किया गया है, जो सही पारित किया गया। अपीलाधीन निर्णय अपीलांट के अभिभाषक की उपस्थिति मे पारित किया गया है जो आदेशिका मे अंकित है। प्रश्नगत भूमि से संबंधित वाद की प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 10.04.2015 को पारित की गई है एवं अन्तिम डिक्री दिनांक 27.05.2015 को अपीलांट के अभिभाषक की उपस्थिति मे पारित की गई। अपीलाधीन निर्णय का अभिलेख मे अमलदरामद भी माह जुलाई 2015 को मुताबिक अपीलाधीन निर्णय व डिक्री हो चुका है। अपीलाधीन निर्णय मे अपीलांट की पूर्ण सहमति रही है। इसी कारण समयावधि भीतर अपीलांट ने अपील प्रस्तुत नही की है। बल्कि लगभग एक वर्ष से अधिक का समय व्यतीत होने के बाद अपील प्रस्तुत की है जबकि अभिभाषक को ज्ञान पक्षकार ज्ञान होने की अवधारणा है। इसलिए अपीलांट

का प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम खारिज किया जाकर अपील अपीलांट मियाद बाहर प्रस्तुत होने के कारण खारिज योग्य है। अधिवक्ता रेस्पो0 ने अपनी बहस के समर्थन मे आरआरडी 1993 पेज 405, आरबीजे 2000(7) पेज 470, आरआरडी 1990 पेज 445, आरआरडी 1989 पेज 493 न्यायिक दृष्टांत पेश किये। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज की जावें।

5. राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 18 ने अपनी बहस मे कथन किया कि प्रकरण मे विधि अनुसार निर्णय पारित करते हुए प्रकरण का निस्तारण किया जावें।

6. बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। अभिभाषक रेस्पो0 द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का ससम्मान अध्ययन किया गया। अपील का निस्तारण गुणावगुण पर श्रेयष्कर होने के तथ्य को मद्देनजर रखते हुए धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है अपील अपीलाण्ट अंदर मियाद शुमार की जाती है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन करने उपरांत निष्कर्ष है कि अपीलाधीन अन्तिम निर्णय व डिक्री पारित करने से पूर्व विचारण न्यायालय ने दोनो पक्षों को विधिवत सुनवाई हेतु न तो कोई नोटिस जारी किया है तथा ना ही विभाजन प्रस्ताव बाबत पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिया है एवं अपीलाधीन प्रकरण मे बिना प्रभावित पक्षकारो को सुने तथा बिना विधिवत तामील करवाये विभाजन का दावा डिक्री किया गया है तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह तथ्य भी साबित होता है कि वाद मे प्राथमिक डिक्री पारित की जाकर तहसीलदार भादरा को मौका कमिश्नर नियुक्त करते हुए विभाजन प्रस्ताव बाबत आदेश दिया गया है परन्तु विभाजन प्रस्ताव हल्का पटवारी द्वारा तैयार किया जाकर विचारण न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया है। जबकि विभाजन प्रस्ताव हेतु तहसीलदार भादरा को मौका कमिश्नर नियुक्त किया गया था। विचारण न्यायालय द्वारा अन्तिम निर्णय व डिक्री पारित करते समय राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना नही हो पाई

है। जबकि विभाजन के वाद मे राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना करते हुए समस्त सहखातेदारान की उपस्थिति मे समस्त सहखातेदारान को सुनवाई का अवसर दिया जाकर विभाजन की डिक्री पारित किये जाने का प्रावधान है। ऐसी स्थिति मे अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अपास्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित है।

7. अतः उक्त विवेचन के अनुसार अपील अपीलांट स्वीकार योग्य होने के कारण आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 27.05.2015 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय मे इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वादग्रस्त भूमि से संबंधित समस्त सहखातेदारान को आवश्यक पक्षकार के रूप मे संयोजित किया जाकर राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 मे विहित प्रावधानो की पालना सुनिश्चित करते हुए विभाजन हेतु अन्तिम डिक्री पारित करें। विभाजन प्रस्ताव हेतु मौका निरीक्षण की तिथि के संबंध मे तहसीलदार उभय पक्ष को विधिवत रूप से सूचित कर उभय पक्ष की उपस्थिति मे मौका निरीक्षण कर नियम 18 ता 21 के प्रावधानो के अनुसार प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत करें। तहसीलदार से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर सहखातेदारान की आपत्तियों/आक्षेपों पर सुनवाई कर नियमानुसार निस्तारण करते हुये विभाजन की अन्तिम डिक्री पारित करें। उभय पक्ष अधीनस्थ न्यायालय मे दिनांक 20.12.2017 को उपस्थित हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर की जावें। निर्णय आज दिनांक 08.12.2017 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हरभान मीणा) आर..ए.एस
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ